

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-5-2/2018/1/3

भोपाल, 05 जून, 2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:- संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किए जाने हेतु नीति-निर्देश।

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति एवं म.प्र. सर्वशिक्षा अभियान मिशन में संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाने हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं, संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों से आशय है वर्तमान अथवा पूर्व में संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी :-

- 1.1 राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अनुमोदित प्रशासनिक सेटअप में संविदा पर नियुक्ति के लिए जो पद चिन्हित हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से नियमित पदों में परिवर्तित किया जाए। विषय-विशेषज्ञता, योग्यता एवं अनुभव अथवा ऐसी कोई विशिष्ट परिस्थितियों में संविदा पर नियुक्त करने के पद स्वीकृत किए जाएंगे। विभाग ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए संविदा नियुक्ति के पदों को निर्मित करने अथवा उन्हें निरंतर रखने का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुत कर उस पर अभिमत प्राप्त करेगा तदोपरांत विभाग समन्वय में ऐसे प्रस्ताव पर यथोचित आदेश प्राप्त करेगा।
- 1.2 विभाग जहाँ आवश्यक हो आउट-सोर्स के माध्यम से स्वीकृत सेटअप के अनुसार सेत्राएं प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।


निरन्तर--2

- 1.3 समस्त विभाग स्वीकृत संविदा के पदों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे। जहाँ ऐसा वर्गीकरण करने में कठिनाई हो वहाँ सामान्य प्रशासन विभाग का निर्णय श्रेणी के सम्बन्ध में अंतिम होगा। श्रेणी का वर्गीकरण मुख्यतः संविदा वेतन के आधार पर किया जाएगा।
- 1.4 प्रत्येक विभाग के भर्ती किए जाने वाले पदों में 20 प्रतिशत पद संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेंगे, किन्तु इस नीति के अंतर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने (joining) उपरांत पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी।
- 1.5 इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न संविदा सेवक पात्र होंगे :-
 - 1.5.1 सीधी भर्ती का रिक्त पद जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी में आवेदक न्यूनतम 05 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहा हो। 05 वर्ष की यह अवधि रिक्त पद पर आवेदन करने की दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण-पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण-पत्र यथास्थिति जिला स्तर पर अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।
 - 1.5.2 सेवा-नियमों में प्रश्नाधीन नियमित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता तथा अन्य सुसंगत अनुभव जो बॉधित है, उन्हें वह पूर्ण करता हो।
- 1.6 यदि किसी संविदा सेवक ने विभिन्न पदों पर कार्य किया है तो उसकी कुल संविदा सेवा 05 वर्ष की होना चाहिए। अगर उसने विभिन्न श्रेणी के पदों पर संविदा पर कार्य किया है तो 05 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा जो इस 05 वर्ष में निम्नतम श्रेणी का था।
- 1.7 अगर किसी शासकीय सेवक को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 05 वर्ष की संविदा सेवा की अवधि की गणना सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी।
- 1.8 किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्त सेवक अन्य किसी भी विभागके द्वारा विज्ञप्त पद पर आवेदन कर सकेगा जिसके लिए वह अर्हता रखता हो। यह आवश्यक नहीं है कि जिस विभाग में संविदा पर सेवक नियुक्त है उसी विभाग में उसे नियमित किए जाने के अवसर दिए जाएं।

- 1.9 राज्य शासन में नियमित नियुक्ति होने पर उन्हें पूर्व की संविदा सेवाओं का किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।
- 1.10 संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित किए गए सीधी भरती के नियमित पदों पर पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से चयन होगा। इस चयन प्रक्रिया में नियुक्तकर्ता विभाग द्वारा न्यूनतम कटऑफ अंक निर्धारित किए जाएंगे।
- 1.11 संविदा सेवक एक अथवा उससे अधिक श्रेणी के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिस श्रेणी के नियमित पद पर वह नियुक्ति का आवेदन करता है उसके समकक्ष एवं उच्चतर श्रेणी के संविदा पद पर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा में मिलेगी। यह छूट सहित अधिकतम आयु आवेदन दिनांक अथवा पद की भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति में निर्धारित दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 1.12 लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले श्रेणी 1, 2 के संबंधित विभागों द्वारा चिन्हित पदों पर संविदा सेवकों के लिए उपरोक्त उल्लेखित 20 प्रतिशत आरक्षण नहीं रखा जाएगा, किन्तु इन्हें कंडिका 1.11 में उल्लेखित आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा।
- 1.13 नियुक्ति की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ावर्ग के आरक्षण नियमों का पालन होगा।
- 1.14.1 संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा युक्तियुक्त आधार व कारणों के बिना समाप्त नहीं की जावे। किसी के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की स्थिति में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देने एवं समग्र रूप से जाँच पूर्ण करने के बाद ही सेवा समाप्त की जा सकेगी।
- 1.14.2 वर्तमान में संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को इस नीति के अनुरूप विभागों द्वारा उन्हें नियमित नहीं कर दिया जाता तब तक प्रत्येक वर्ष की जनवरी में वार्षिक वेतनवृद्धि, आलोच्य अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर देय होगी तथा यह राशि निकटतम 100 रुपये के गुणांक तक पूर्णांकित की जाएगी। उपर्युक्त अनुसार वार्षिक वेतनवृद्धि देने के लिए यह आवश्यक होगा कि संबंधित संविदा सेवक ने कम से कम 06 माह की सेवा अवधि उस वेतन में पूर्ण कर ली हो।

- 1.14.3 जिन संविदा कर्मचारियों को पूर्व से ई.पी.एफ./राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा हो उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ दिया जाए।
- 1.14.4 संविदा पर कार्यरतों को एक कैलेण्डर वर्ष में 13 दिन का आकस्मिक अवकाश, 15 दिन का अर्जित अवकाश तथा 10 दिन का लघुकृत अवकाश की पात्रता होगी तथा कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर शेष अवकाश स्वतः व्यपगत हो जाएंगे। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारियों को 90 दिवस का प्रसूति अवकाश की पात्रता उन प्रतिबंधों के साथ रहेगी जो महिला शासकीय सेवक के लिए अवकाश नियमों में निर्धारित है।
- 1.14.5 संविदा कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक, समकक्ष नियमित पदों के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत निर्धारित किया जाए।
- 1.14.6 कंडिका 1.14.1 से 1.14.5 के पालन हेतु सम्बंधित विभाग द्वारा संविदा अनुबंध में प्रावधान किए जाएं।
- 1.15 विभागों को इस नीति के अनुरूप अपना प्रशासकीय सेटअप तथा भर्ती नियमों में यथोचित परिवर्तन करने होंगे। जहाँ आवश्यक हो वहाँ भर्ती में प्रतिबंध से आवश्यक छूट भी प्राप्त की जावेगी। किसी विभाग द्वारा संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में यदि कोई सुविधा पूर्व से प्रदत्त की जा रही हो तो वह यथावत् रख सकेगा।
- 2' उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(सी.बी.पड़वार)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक सी 5-2/2018/1/3


भोपाल, 05 जून, 2018

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल।
2. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
3. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र.।
5. मान. मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.।

निरन्तर.....5

6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, भोपाल।
 7. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
 8. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल।
 9. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/अवर सचिव(स्थापना/अधीक्षण), मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 10. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
 11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल।
 12. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन, भोपाल।
 13. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल।
 14. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर।
 15. सचिव, म.प्र. राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
 16. सचिव, म.प्र. मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
 17. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. भोपाल।
 18. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/गवालियर ।
 19. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
 20. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
 21. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, भोपाल।
 22. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
 23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, म.प्र.।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(सी.बी.पडवार)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग